न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 16/2022 दायर दिनाँक 10.01.2022

वादी

1. नेमाराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल उम्र 35 वर्ष निवासी अडसिंगा, तहसील जायल जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफूल राव वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 04.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा सं0 980/721 रकबा 0.0600 हैक्टे0 (पुराने खसरा सं0 854/505) वाके शरहद बिंचावा पटवार क्षेत्र बिंचावा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है।

वादी के उक्त खेत की चारो सींवे सीधी थी तथा वादी का खेत आयताकार था। अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने नजरी नक्शा में खसरा सं0 980/721 की पश्चिमी सींव को वादी के खेत में टेडी कर वादी के खेत के अन्दर दर्शित कर दिया था वादी की पश्चिमी सींव में दो कोने लगा दिये, जो पश्चिमी सींव पहले बिल्कुल सीधी थी। वादी के खेत की पश्चिमी सींव को नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादी के खेत की पश्चिमी सींव मार्क ए से बी नजरी नक्शा में पहले सीधी थी। जिस राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से वादी के खेत की पश्चिमी सींव को टेडी कर वादी के खेत के अन्दर दर्शित कर दिया है। जबकि ऐसी कोई सींव पहले वादी के खेत में नही थी तथा ना ही वर्तमान में मौके पर है।

यह है कि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नजरी नक्शा में वादी की खेत पश्चिमी सींव को टेडी कर वादी के खेत में दर्शित करने से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है तथा वादी को भविष्य में कई समस्याओं का सामना करने की आंशका है। इसलिए वादी के खेत की पश्चिमी सींव मार्क ए से बी को सीधा किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है। इसलिए वादी को दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि खेत खसरा सं0 980/721 रकबा 0.0600 हैक्टे0 की पश्चिमी सींव जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शायी हुई है, को राजस्व नक्शा सीधी किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 980/721 रकबा 0.0600 हैक्टे0 की पश्चिमी सींव जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शायी हुई है, को राजस्व नक्शा सीधी किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें व वादी का पता सा. देह के स्थान पर सा. अड़सींगा तहसील जायल कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **04.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 16/2022 दायर दिनाँक 10.01.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. नेमाराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल उम्र 35 वर्ष निवासी अडसिंगा, तहसील जायल जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

दिनाँक 04.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफूल राव वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 980/721 रकबा 0.0600 हैक्टे0 की पश्चिमी सींव जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शायी हुई है, को राजस्व नक्शा सीधी किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें व वादी का पता सा. देह के स्थान पर सा. अड़सींगा तहसील जायल कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगी।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो किसी खास डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner